राजपत्र सं0 ल0 33/एस0 एम0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 29 अगस्त, 1991/7 भाद्रपद, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

आदेश

शिमला-2, 29 अगस्त, 1991

संख्या सी (ए) (9)-37/80-IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि इस आदेश के प्रकाशन से तीन मास की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मैजिस्ट्रेट अपनी-अपनी अधिकारिता में यदि उनका किसी व्यक्ति के बारे में समाधान हो जाता है कि उसे लोक व्यवस्था या समाज की आपूर्ति एवं आवश्यक सेवा की व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के लिए निदेश देना आवश्यक हो गया है कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

2205-राजपत्र/91-29-8-91—1,213. (1855) मूल्य : 1 रुपया।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Home (C)A (9)-37/80,-IV, dated 29-8-1991 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 29th August, 1991

No. Home (C) A (9)-37/80 IV.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that during the period of three months from the publication of this Order all District Magistrates in Himachal Pradesh, within their respective jurisdiction, shall exercise the powers of the State Government under sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act if they are satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order or from acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community, it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

शिमला-2, 29 अगस्त, 1991

नं0 गृह (सी0) ए0(9)-37/80-IV —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि राज्य सरकार या इस निमित प्राधिकृत जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अनुशासन बनाए रखने की शर्त और हिमाचल प्रदेश नजरबन्द (निरोध शर्तें) आदेश, 1980 में, अनुशासन भंग के लिए विनिर्दिष्ट दण्ड की शर्त के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन निरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत या हिमाचल प्रदेश की किसी जेल में निरुद्ध किया जा सकेगा।

[*Authorised English text of this Government order No. Home (C) A (9)-37/80-IV, dated 29-8-91 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 29th August, 1991

No. Home (C) A(9)-37/80-IV.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to specify by general order that any person detained under section 3 of the said Act by the State Government or by the District Magistrate, authorised in this behalf shall be detained in a police lock-up or kept in any jail in Himachal Pradesh, subject to the condition as to maintenance/discipline and punishment for breaches of discipline specified in the Himachal Pradesh Detenue (Conditions of Detention) Order, 1980.

By order,

A. N. VIDYARTHI,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।